GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *156

TO BE ANSWERED ON THE 21ST DECEMBER, 2022/ AGRAHAYANA 30, 1944 (SAKA)

RELEASE OF PRISONERS FROM JAILS

156 # SHRI IMRAN PRATAPGARHI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the numbers of prisoners in the country who have not been released from the jails even after completing their sentence; and

(b) the State-wise details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI AJAY KUMAR MISHRA)

(a) and (b): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.*156 FOR 21ST DECEMBER, 2022

(a) and (b): National Crime Records Bureau (NCRB) compiles prison statistics reported to it by the States and Union Territories (UTs) and publishes the same in its annual publication "Prison Statistics India". The latest published report is of the year 2021. Specific data in this regard is not maintained by NCRB.

'Prisons'/'persons detained therein' is a "State List" subject under List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. The administration and management of prisons and prison inmates is, therefore, the concern of respective State Governments, who have the responsibility to ensure that prisoners are released from jail on completion of their sentence. However, the Ministry of Home Affairs (MHA) has been supplementing the efforts of the State Governments by issuing advisories on varied aspects of prison administration from time to time. Circulation of Model Prison Manual 2016, to all States and UTs, is also a step in this direction. The Manual has specific chapters on 'Execution of Sentences', 'Prison Computerisation', 'Premature Release', etc. which provides detailed guidance to the States/UTs. MHA has also strengthened the 'E-prisons' portal by providing financial assistance to the States and UTs to the tune of Rs. 100 crores

recently. The objective of E-prisons is to create end-to-end IT solution for automation of prison operations, including digitisation and availability of prisoner records in an electronic platform accessible to designated authorities as well as to prison inmates, enabling them to have direct access to information related to them like date of release, parole, visitor's booking, remission, redressal of grievances etc. MHA has also been assisting the States and UTs for modernising the security infrastructure in prisons as well as in strengthening the IT infrastructure in jails, which is intended to aid in efficient prison administration. It is the responsibility of States and UTs to make best use of the support and guidance provided to them in efficient prison administration.

******

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *156
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 / 30 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों की जेल से रिहाई

156# श्री इमरान प्रतापगढ़ीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेलों से रिहा नहीं किया गया है; और
(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *156

"कैदियों की जेल से रिहाई" के संबंध में दिनांक 21.12.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *156 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। एनसीआरबी के पास इस संबंध में विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।

'कारागार' / 'उनमें बंद व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। के तहत "राज्य-सूची" का विषय है। इसलिए, कारागारों और कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, जिनकी यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि कैदियों को उनकी सजा पूरी होने पर जेल से रिहा कर दिया जाए। तथापि, गृह मंत्रालय समय-समय पर कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एडवाइजरी जारी करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता रहता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 परिचालित करना भी इस दिशा में एक ऐसा ही कदम है। इस मैनुअल में "सजा के निष्पादन", "कारागारों को कंप्यूटरीकृत करना", "समय से पूर्व रिहाई" आदि के बारे में विशिष्ट अध्याय दिए गए हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हाल ही में, गृह मंत्रालय ने 'ई-प्रिजन' पोर्टल को सुदृढ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 'ई-प्रिजन' पोर्टल का उद्देश्य कारागारों के क्रियाकलापों के स्वचालन हेतु आद्योपान्त सूचना प्रौद्योगिकीय (आईटी) समाधान प्रदान करना है, जिसमें नामोदिष्ट प्राधिकारियों के साथ-साथ कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म में कारागार संबंधी रिकॉर्डों को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध करवाना शामिल है, ताकि कैदियों की रिहाई की तारीख, पैरोल, मुलाकात की बुकिंग, माफी, शिकायतों का निराकरण आदि संबंधित सूचना उन्हें सीधे उपलब्ध कराई जा सके। गृह मंत्रालय, जेलों में सूचना प्रौद्योगिकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कारागारों में सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता रहता है, जिसका उद्देश्य प्रभावकारी कारागार प्रशासन में मदद प्रदान करना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्रभावकारी कारागार प्रशासन के संबंध में उन्हें प्रदान की गई सहायता एवं मार्गदर्शन का सर्वाधिक उपयोग करें।

****

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात पर आपका ध्यान भी चाहूंगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा है कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं, जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया। इसके जवाब में माननीय मंत्री जी सभा पटल पर जो जवाब रख रहे हैं, *

श्री उपसभापति : आप अपना सवाल पूछें।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, यह उच्च सदन है और अगर हम जवाब मांग रहे हैं, तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले। सर, अगर बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपने जो संख्या पूछी है, आप उसी आधार पर अपना सवाल पूछें। आप अपना सवाल ब्रीफली पूछें।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : अब मैं इस पर सप्लिमेंटरी पूछ रहा हूं, हालांकि जवाब भी बिल्कुल टरकाने वाला है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत कैदी अंडर ट्रायल हैं, विश्व में छठे नम्बर पर और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल, नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या को जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रही है?

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, पहली बात तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा, अगर वे उच्च सदन में कहते हैं, तो बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची सात में, सूची दो पर साफ-साफ दर्ज है कि यह प्रदेश सरकारों का मामला है। जेल और जेल में जो बंदी रहते हैं, उसके प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। केंद्र सरकार केवल उसमें सहयोग करती है। आपने जो प्रश्न पूछा है, जिसमें यह कहा है कि 80 प्रतिशत कैदी जेल में हैं, यह सही बात है कि 77-78 प्रतिशत कैदी जेल में हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है और अंडर ट्रायल कैदियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायालयों को होता है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, *...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : सर, मंत्री जी यह क्या बोल रहे हैं?

श्री उपसभापति : मैडम, इसकी एक प्रक्रिया है, आप प्लीज़ इसे चलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : महोदय, इस प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, उसे आप एक बार सुन लें। उस जवाब में कहा गया है कि एनसीआरबी यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, एक मिनट आप मेरी बात सुनें। आपको पता होना चाहिए कि अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसको पूछने की अलग से एक प्रक्रिया है। इस पर आप सेकंड सप्लिमेंटरी पूछिए।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, ठीक है। मैं सेकंड सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ लेता हूं। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा जेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वर्ष 2019 का जो आंकड़ा है, यह एनसीआरबी का है, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया। करीब 1,031 कैदी हैं, जो सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन जुर्माने की रकम अदा न कर पाने की वजह से वे जेलों के अंदर हैं। महोदय, यह 2019 का आंकड़ा है।

श्री उपसभापति : ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, यह बहुत गंभीर बात है। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा, it is a matter of States. इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिलकिस का गैंग रेप और उसके परिवार के सात लोगों की जघन्य हत्या ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : उनके कैदियों की रिहाई, क्या यह matter of States है, ...**(व्यवधान)**... क्या गृह मंत्रालय कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? ...**(व्यवधान)**... It is a matter of States. ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। ...**(व्यवधान)**... इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, मैं यही कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है। उसमें यह लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टेटेस्टिक्स जेल के संबंध में इकट्ठा करती है, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष/महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है। यही उसमें कहा गया है। ...**(व्यवधान)**... यह साफ है। आप पता कर लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप इधर देखकर जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैडम, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अजय कुमार : सर, तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वह एडवाइज़री जारी करता है। हमने प्रिज़न मैन्युअल, 2016 जारी किया है, जिसके माध्यम से जो कैदी सजा पूरी कर चुके हैं, उनको रिहा करने की सुविधाएं हैं। इसके अलावा ई-प्रिज़न के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपये की लागत से जेलों में ई-सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कैदी कब आया, कब गया, कब उसकी सजा पूरी हुई, यह सब किया है। प्रदेशों की एक व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से वे उसको पूरा करते हैं। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने 15 अगस्त, 2022, 26 जनवरी, 2023 और 15 अगस्त, 2023 के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें ऐसे कैदी, जो जुर्माना अदा न कर पाने के कारण जेल में हैं, उनके बारे में प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए।

माननीय उपसभापति जी, जो कैदी जेल में सजा पूरी कर चुके हैं, उनके संबंध में यह प्रश्न है, इसलिए जिनकी सजा माफ की गई है, उनके संबंध में अगर कोई जानकारी है, तो अलग से नोटिस देकर पूछना चाहिए।

श्री उपसभापति : माननीय श्री राकेश सिन्हा।

श्री राकेश सिन्हा : उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी के आने के बाद से थर्ड जेंडर के स्वाभिमान और सम्मान को स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जेलों में थर्ड जेंडर के लिए क्या अलग वार्ड की व्यवस्था है? यदि नहीं है, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि थर्ड जेंडर के लिए अलग वार्ड बनाया जाए?

श्री अजय कुमार : उपसभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि विशिष्ट श्रेणी के कैदियों या बंदियों के विषय में एनसीआरबी कोई आंकड़ा नहीं रखता है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ जेलें हैं और जहां पर महिला जेल नहीं है, वहां पर जेलों के अंदर महिलाओं के लिए वार्ड भी बने हैं। ऐसे कैदी जो विशेष परिस्थिति के होते हैं, उनको विशेष परिस्थितियों में ही रखा जाता है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार करती है, जिसके संबंध में हम एडवाइज़री और अन्य संज्ञान देते हैं।

श्री उपसभापति : माननीय जावेद अली खान।...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...माननीय जावेद अली खान।

श्री जावेद अली खान : माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा कि सीख लेना चाहिए, प्रश्न की ग्राह्यता की कुछ शर्तें हैं, जब प्रश्न ग्रहण किया जाता है, तो उसका उत्तर भी देना चाहिए।

†**جناب جاوید علی خان :** مانئیے اُپ سبھا پتی جی، مانیئے منتری جی نے جو ابھی کہا کہ سیکھ لینا چاہیئے، سوال کی گرہیتا کی کچھ شرطیں ہیں، جب سوال گرہن کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی دینا چاہیئے۔

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए। माननीय सदस्यगण, आप आपस में बातें मत करिए। आप सवाल पूछिए।

श्री जावेद अली खान : उपसभापति महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि बहुत से कैदी ऐसे हैं, जिनको जितनी सजा होनी चाहिए, उनका उससे भी ज्यादा समय जेलों में कट गया है और वे जेल के अंदर ही हैं। आये दिन ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, क्या आप उनकी संख्या बता सकते हैं?

†**جناب جاوید علی خان :** اُپ سبھا پتی مہودے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے قیدی ایسے ہیں، جن کو جتنی سزا ہونی چاہیئے، ان کا اس سے بھی زیادہ وقت جیلوں میں کٹ گیا ہے اور وہ جیل کے اندر ہی ہیں۔ آئے دن ایسے معاملے پرکاش میں آتے ہیں، کیا آپ ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, मैंने अभी इसका जवाब दिया था और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे कैदी, जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जेल में हैं, ऐसा होने के तीन-चार कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि वह सज़ा, जिसे वे पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उसके अलावा किसी और दूसरे मामले में सज़ा मिली हो; दूसरा कारण यह होता है कि उनकी सज़ा उस मामले में तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई अंडर ट्रायल मामला है, जिसमें उन्हें बेल नहीं मिली होती है; तीसरा कारण यह होता है कि जो विदेशी कैदी होते हैं, उनके विदेश से आने वाले जो कागज-पत्र होते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है और चौथी तरह के कैदी वे कैदी होते हैं, जो अपना जुर्माना अदा नहीं कर पाए हैं। महोदय, हमने इन सभी के लिए एडवाइज़री भी जारी की है। जुर्माना माफ करने के लिए मैंने जिस योजना का जिक्र किया, उस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने 15 अगस्त, 26 जनवरी और अगली 15 अगस्त को जो योजना दी है, उसके माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि ऐसे कैदियों का जुर्माना माफ करके उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है कि यह राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार समिति बनाती है। वह समिति बनाकर उसका सर्वे करती है। राज्य सरकार सर्वे करने के बाद, उसे माफ करके अनुच्छेद 61 के माध्यम से राज्यपाल को भेजती है और राज्यपाल उस पर निर्णय लेते हैं।

श्री उपसभापति : अजय कुमार जी, आपका धन्यवाद। माननीय राघव चड्ढा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

---

† Transliteration in Urdu script.

श्री राघव चड्ढा : डिप्टी चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, मेरा बहुत छोटा और सीधा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का सीधा जवाब आए। ..**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति : राघव चड्ढा जी, आपके दल की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं।..**(व्यवधान)**.. आप कृपया बैठिए।

श्री राघव चड्ढा : सर, 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने वादा किया था, एक बहुत बड़ा एलान किया था कि जितने भी सिंह बंदी हैं, सिख समाज के कैदी हैं, जब उनकी जेल टर्म, यानी कि उनकी कैद का पूरा समय बीत जाएगा, वे कैदी सज़ा पूरी कर लेंगे, तो उन्हें रिहा किया जाएगा। यह एलान 2019 में गुरु पर्व के बहुत बड़े और बहुत शुभ दिन पर किया गया था। महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के इतने बड़े एलान को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? माननीय मंत्री जी का विभाग प्रधान मंत्री जी के इस एलान को लागू करके उन्हें रिहा क्यों नहीं कर रहा है?

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, जैसा कि मैंने इस पर कहा था, मैंने इस पर बीच में विशिष्ट श्रेणी कहा था और ट्रांसजेंडर के लिए यह शब्द प्रयोग किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक मिनट में क्लियर करने के लिए यह कहूंगा कि हमने इसके लिए राज्यों को एडवाइज़री भेजी है और हम तब तक विशिष्ट श्रेणी के बंदियों की अलग से व्यवस्था करते हैं। महोदय, अगर उनका कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उसको निश्चित रूप से कार्यान्वित करेंगे। मान्यवर, मैंने शुरुआत में कहा है कि यह राज्यों का विषय है और हम कैदियों को रिहा करने के संबंध में एडवाइज़री जारी करते हैं, ई-प्रिज़न के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं और ऐसी सारी चीज़ें, जो नवीनतम होती हैं, आधुनिक होती हैं, हम उन पर भी अमल करने का प्रयास करते हैं। हमने अभी एक विशेष योजना के अंतर्गत इस पर कहा भी है। महोदय, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है कि हमने 15 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा किया है। हमने 26 जनवरी को भी उन्हें रिहा किया है, अतः मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से एक विशेष श्रेणी के लिए अमल करना होता है, तो उस पर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने होते हैं। महोदय, राज्य सरकारों को इस विषय पर प्रस्ताव भेजा गया है। उनके यहाँ जो मामले हैं, वे उन पर प्रस्ताव भेजेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं, हम उन पर विचार कर रहे हैं और जो लोग दूसरे प्रस्ताव भेजेंगे, उन पर भी विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या , माननीय विजय पाल सिंह तोमर ..**(व्यवधान)**..Please. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record now.

श्री राघव चड्ढा : *

---

* Not recorded.